


सुनवान - हरीश मोहन लाल मुं.नं. 94/17

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम	
11-12-18	<p>पत्रावली पेश हुई। बादी वकील उपस्थित नहीं हैं। कई बार - रक - रक का आवाज दिलवाई गई। फिर भी बादी वकील एवं बादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर टारिबल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>	

